कार्यालय आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई–मेल : **dme12001@yahoo.com** दूरभाष क्र. 0755–2550186
वेबसाईटः **www.medicaleducation.mp.gov.in** फैक्स :

क्रमांक 1072/4/प्रवेश/यूजी/2024 भोपाल, दिनांक 12/08/2024

प्रति,

अधिष्ठाता,
चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल,इंदौर,ग्वालियर,जबलपुर,रीवा,सागर,विदिशा,रतलाम,खण्डवा, दतिया,शिवपुरी,शहडोल,छिंदवाड़ा,सतना,मंदसौर,नीमच,सिवनी।

प्राचार्य,
स्वशासी दंत चिकित्सा महाविघालय,
इंदौर।

अधिष्ठाता,
पीपुल्स मेडिकल कालेज, भोपाल ।
आर.डी. गार्डी मेडिकल कालेज, उज्जैन।
श्री अरविंदों इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, इंदौर।
इण्डेक्स मेडिकल कालेज, इंदौर।
एल.एन.मेडिकल कालेज,भोपाल।
चिरायू मेडिकल कालेज, भोपाल।
अमलतास मेडिकल कॉलेज, देवास।
आर0के0डी0एफ0 मेडिकल कालेज, भोपाल।
महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, भोपाल।
सुख सागर मेडिकल कालेज, जबलपुर।
एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज, इंदौर।
राम कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च भोपाल।
श्री सत्य साईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साईंसेस, सीहोर।

प्राचार्य,
पीपुल्स कालेज आफ डेंटल साइंस,भोपाल।
पीपुल्स डेटल अकादमी,भोपाल।
रिशीराज डेंटल कालेज, भोपाल।
श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंस, इंदौर
मानसरोवर डेंटल कालेज,भोपाल।
गुरू गोविंद सिंह डेटल कालेज, बुरहानपुर
आर.के.डी.एफ. डेंटल कालेज एंड रिर्सच सेटर, भोपाल।
हितकारिणी डेटल कालेज, जबलपुर।
कालेज आफ डेंटल साइंस, राउ, इंदौर।
महाराणा प्रताप डेंटल कालेज, ग्वालियर
भाभा डेंटल कालेज, भोपाल
इंडेक्स डेंटल कालेज,इंदौर
मॉडर्न डेंटल कॉलेज, इंदौर।

विषय– शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी चिकित्सा/निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024–25 में एमबीबीएस/बीडीएस स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग के संबंध में **आवश्यक निर्देश।**

---0000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि नीट यू0जी0 2024–25 के प्राप्त परीक्षा परिणाम के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2024–25 में प्रदेश के शासकीय स्वशासी एंव निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की स्टेट कोटे एवं एनआरआई कोटे की सीटों पर राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसलिंग की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है।

उपरोक्त आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन (स्क्रूटनी) एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. नीट यू0जी0 2024 काउंसिलिंग के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम, नियम, निर्देश एवं अन्य जानकारी संचालनालय की वेबसाईट **www.medicaleducation.mp.gov.in** एवं निर्धारित पोर्टल **www.dme.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। कृपया उक्त वेबसाईट से जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। काउंसिलिंग कार्य में किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी हेतु संचालक/काउंसलिंग एडवाईज़र, चिकित्सा शिक्षा से संपर्क कर सकते है।

2. मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 09 मार्च 2018, संशोधन दिनांक 19 जून 2019, संशोधन दिनांक 05.10.2021, संशोधन दिनांक 26.07.2022, संशोधन दिनांक 10 मई 2023 एवं संशोधन दिनांक 02 जुलाई 2024 का अध्ययन प्रवेश समिति द्वारा किया जाना सुनिश्तिच करें। साथ ही

महाविद्यालय स्तर पर एक नोड़ल अधिकारी की नियुक्ति की जाये। प्रवेश हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु गठित समितियों को अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची, मोबाईल नम्बर सहित महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये, **जिसकी एक प्रति संचालनालय को अनिवार्य रूप उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।**

3. निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में नोड़ल अधिकारियों की नियुक्ति संचालनालय स्तर से की जा रही है। नियुक्त नोड़ल अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

4. **गठित प्रवेश समिति अभिलेखों के परीक्षण में विशेष सावधानी रखें एवं स्क्रूटनी हेतु जारी प्रपत्र–1 अनुसार ही अभिलेखों का परीक्षण करें। शासकीय विद्यार्थी प्रवर्ग कोटे से आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा कोटे हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र (प्रपत्र '10' अनुसार) के Cross Varification हेतु उनकी अंकसूचीयों का भी परीक्षण कर उनकी प्रवेश हेतु अर्हता का निर्धारण करने के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जावे।**

5. **एनआरआई कोटे के आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र (4,5,6,) अनुसार affidavit प्रस्तुत करने पर एवं उसके सही पाये जाने पर ही प्रवेश प्रक्रिया करें।**

6. शासकीय स्वशासी एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा काउंसिलिंग व्यय के रूप में रूपयें 1,00,000/– (रूपयें एक लाख केवल) तथा स्वशासी दंत एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों से रूपयें 50,000/– (रूपयें पचास हजार केवल) का बैंक ड्राफट्, जो संचालक चिकित्सा शिक्षा के नाम से देय हो, पत्र प्राप्ति के तीन दिवस में संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

7. **नीट यू0जी0 2024 काउंसिलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रवेशित छात्र/छात्राओं के अभिलेखों की जांच हेतु संस्था का औचक निरीक्षण किया जा सकता है।**

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक /4/प्रवेश/यूजी/2024 भोपाल, दिनांक /08/2024

प्रतिलिपिः–

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश